प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27351/प्रोबे0अनु0(2)-217/सला0समिति/(एम-05-06-2020) /2020, दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुधीर पुत्र श्री ओमप्रकाश, ग्राम-गिरधरपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-हापुड़, हाल पता-सी0-7, एकतानगर, छठी वाहिनी, पी0ए0सी0, रूड़की रोड, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 20.09.1992 को बंदी अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारूति कार के अन्दर बैठे एक बच्चे सहित 05 लोगों की राइफल व बंदूक से गोलियां चलाकर हत्या कर दी गयी। वादी की बहू श्रीमती ओमवती गम्भीर रूप से घायल हो गयी। गोलियां चलाने से एक अन्य महिला श्रीमती रामवती की भी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-385/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 427 व 25 शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-06, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 19.12.2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.09.2020 तक 20 वर्ष 04 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 07 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.09.2020 तक 56 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी को सजा पूर्ण होने से पहले रिहा किये जाने पर वादी पक्ष के साथ कोई संगीन घटना घटित किये जाने से इन्कार नही किये जा सकने, रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकने तथा समय पर हाजिर नही होने व फरार होने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बंदी के प्रकरण में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 24.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत में उल्लेख किया गया कि अपराध की प्रकृति अत्यधिक गम्भीर है और ऐसे व्यक्ति के छूटने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

और समाज में कानून के भय को क्षति पहुंचेगी। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा पुरानी रंजिश होने के कारण दिनांक 20.09.1992 को बंदी अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारूति कार के अन्दर बैठे एक बच्चे सहित 05 लोगों की राइफल व बंदूक से गोलियां चलाकर हत्या कर दी गयी। वादी की बहू श्रीमती ओमवती गम्भीर रूप से घायल हो गयी। गोलियां चलाने से एक अन्य महिला श्रीमती रामवती की भी मृत्यु हो गयी। बंदी की समयपूर्व रिहाई से वादी पक्ष के साथ कोई संगीन घटना घटित किये जाने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर पुन: अपराध करने, परिवार में जीविका चलाने हेतु अन्य सदस्य मौजूद होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अभिमत में अंकित किया गया कि अपराध की प्रकृति अत्यधिक गम्भीर है और ऐसे व्यक्ति के छूटने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा और समाज में कानून के भय को क्षति पहुंचेगी। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुधीर पुत्र श्री ओमप्रकाश को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी सुधीर (बन्दी संख्या-11561) पुत्र श्री ओमप्रकाश, निवासी जनपद-मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2021/1001(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़/मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in